आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 4, 2012

संख्या प. 14 (1)/33/सामा./एएसआई/डीईएस/2010-11/16581:- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 3 और 4 सपठित नियम 7 सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित विवरण के अनुसार, विनिर्माण और इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से आंकडों के संग्रहण हेतु वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 (राज्य प्रतिदर्श) एवं पश्चातवर्ती वर्षों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ श्री रघुनाथ मीणा, उपनिदेशक (समन्वय), कमरा नम्बर 209, द्वितीय तल, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, योजना भवन, जयपुर (राज.) को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए तुरंत प्रभाव से सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। इस सर्वेक्षण के आयोजन हेतु नियुक्त सांख्यिकी अधिकारी के निम्नानुसार शक्तियॉ एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है:-

1. उक्त सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
2. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा प्रदत्त सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकार्डो के निरीक्षण और आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण मांगने के कार्य में लगाया जा सकेगा। प्रत्येंक प्राधिकृत व्यक्ति सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र अथवा प्राधिकारी पत्र अपने साथ रखेगा।
3. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 एवं पश्चातवर्ती वर्षो के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के संबंध में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की अनुसूची के भाग-1 में सूचना प्रदाता द्वारा प्रदत्त किये गये आंकडों को विधिवत सत्यापन और जांच के बाद उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औदयोगिक सांख्यिकी स्कन्ध) के कोलकाता स्थित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित अन्य एजेन्सी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों द्वारा संधारित किया जाएगा और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की अनुसूची के भाग-।। में एकत्र आंकडों को श्रम ब्यूरों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संधारित किया जाएगा।
4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 एवं पश्चातवर्ती वर्षों में सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा (4) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
5. नियुक्त सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 7 के उप नियम (2) के अधीन निर्धारित प्रारूप में वचन-बंध पत्र निष्पादित कर तथा नियम 9 के खण्ड (iii) एवं नियम 12 के खण्ड (ड.) के अनुसार वचन-बंध पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान जयपुर को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

<u>सारणी</u>

1. <u>सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन</u>:
   वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 राज्य प्रतिदर्श एवं पश्चातवर्ती वर्षो के औद्योगिक सर्वेक्षण के माध्यम से, विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, गैस और जलापूर्ति तथा शीत भंडार से संबंधित कार्यकलापों वाले संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढांचे से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण किया जावेगा।
2. <u>सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:</u>
   सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 राज्य प्रतिदर्श एवं पश्चातवर्ती वर्षो के औद्योगिक सर्वेक्षण को पूरे राजस्थान राज्य में आयोजित किया जायेगा।
3. <u>आंकडा संग्रहण की पद्धति:</u>
   सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस तारीख, जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय, जिसे इकाई (यूनिट) और इकाइयों (यूनिट्स) जिनके लिए और फार्मेट जिसमें सूचना प्रदान की जानी है, का उल्लेख करेगा। सांख्यिकी अधिकारी सूचनादाताओं को, उन अन्य शर्तो पर निर्भर करते

हुए, इलेक्टरोनिक फार्म में निर्धारित सूचना फाइल करने की अनुमति दे सकता है, जिन्हे वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

4. सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकडें एकत्र किये जाने है:

4.1 इकाई का मालिक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी यानि कोई फैक्ट्री अथवा कोई विद्युत या गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीडी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई उद्यम, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध करायेगा।

4.2 यदि अलग-अलग इकाईयों के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है तो, सांख्यिकी अधिकारी मालिक अथवा पदाधिकारी को एक ही प्रबन्ध के तहत दो या अधिक इकाइयों के संबंध में उन शर्तों पर निर्भर करते हुए समेकित सूचना प्रदान करने के लिए कह सकता है, जिन्हे उसने नोटिस में विनिर्दिष्ट किया है।

5. सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा करने की अवधि:

प्रत्येक सूचनादाता को प्रेषित नोटिस में सूचना प्रस्तुत करने की तारीख एवं सूचना की अवधि का उल्लेख किया जाएगा। आमतौर पर यह अवधि प्रतिवर्ष सितम्बर से जून के बीच होनी चाहिये एवं वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 के लिए सितम्बर, 2011 से जून, 2012 होनी चाहिये।

6. संदर्भ अवधि:

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 राज्य प्रतिदर्श की सूचना 1 अप्रेल, 2010 से शुरू होन वाले और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के मामले में 1 अप्रेल, 2010 और 31 मार्च, 2011 के बीच किसी भी तारीख को पढने वाले लेखाकरण वर्ष के लिये उपलब्ध करानी होगी। पश्चातवर्ती वर्षो के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में यह तिथियां वर्ष अनुरूप निरन्तर प्रभावी रहेगी।

7. एकत्र की जाने वाली सूचना का स्वरूप:

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2010-11 राज्य प्रतिदर्श एवं पश्चातवर्ती वर्षो के औद्योगिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अनुसूची में अपेक्षित सूचना के दो भाग है भाग-। में परिसंपत्तियों तथा देयताओं, रोजगार और श्रम लागत, प्राप्तियों, व्यय, निवेश की स्वदेशी तथा आयातित वस्तुओं, उत्पाद तथा उप-उत्पाद वितरण संबंधी खर्चे आदि से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जायेगी। भाग-।। में श्रम सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं नामत: कार्यदिवस, नियोजित श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, नियोजित कार्य के घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जाएगी।

8. सूचनादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की भाषा:

सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सूचना प्रदान कर सकेगा।

9. सूचनादाता की बाध्यता:

इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से उसे प्राप्त नोटिस में उल्लेखित तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर वह निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड भी उपलब्ध कराएगा और मांगी गई सूचना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा।

10. उन करोबारी रिकॉर्ड तथा अन्य रिकॉर्डो का विवरण, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:

सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, मस्टररोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, पे-रोल, निर्देशक तथा निर्देशक मण्डल अथवा प्राधिकृत व्यक्ति की रिपोर्ट अथवा अन्य कारोबारी रिकार्ड एवं विधिक अथवा विधि सम्मत रिकार्ड का निरीक्षण कर सकेगा।

11. निरीक्षण का तरीका:

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबारी रिकार्ड और अन्य रिकार्डो के आधार पर इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन कर सकता है और इकाई के मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा प्रबंध मंडल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
अनिल कुमार चपलोत,
उप शासन सचिव, आयोजना।